14.3.22	वकील उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष ने जाहिर किया कि प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है एवं वह अपील को अब आगे नहीं चलाना चाहते हैं। पक्षकारान भी उपस्थित आये। दस्तखत एवं पहचान [illegible] की [illegible] की गयी। अतः पत्रावली इसी स्तर पर जरिये [illegible] खारिज की जाती है। पत्रा० फैसल शुमार की जाकर [illegible] से [illegible] की जावे एवं बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।	[illegible]

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
[illegible] अधिकारी
[illegible]पुर [illegible]

रनवीर
दिनेश
होतम[illegible]
सोनी
भगवान देई